मलकीत कौर **बनाम** राजस्थान सरकार
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 167 सन 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/244

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	वादिया अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। जिसके अनुसार खाता संख्या 50 की भूमि वादिया को विरासतन प्राप्त हुई है। उसका गांव में नाम निक्की था। बाद में संगतपुरा में शादी होने के बाद उसका नाम मलकीत कौर कर दिया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि निक्की एंव मलकीत कौर एक ही महिला के दो नाम है। वादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार स्पष्ट है कि वादिया के द्वारा चक 3 एस, पटवारी हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 50/50 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम निक्की उर्फ मलकीत कौर के स्थान पर मलकीत कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वादिया के दो नाम निक्की उर्फ मलकीत कौर बताये गए है, जिसका अंकन पूर्व में ही राजस्व रिकॉर्ड में है। इसलिए वादिया द्वारा चाहा गया अनुतोष निक्की उर्फ मलकीत कौर को मलकीत कौर किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित नहीं होने पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	